संख्या:–432/नौ–7/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पचांयत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनॉक 19मार्च, 2020

विषय: नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियंत्रण विषयक समुचित कार्यवाही/विशेष अभियान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–409/नौ–7/2020 दिनांक 14.03.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नोवेल कोरोना वायरस 2019 के नियन्त्रण विषयक समुचित कार्यवाही करने/विशेष अभियान चलाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

2. अवगत कराना है कि प्रकरण में **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 19.03.2020** को यह निर्देश दिये गये है कि नोवेल कोरोना वायरस 2019 के संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्यवाही प्रभावी रूप से करायी जाय :–

(1) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने–अपने निकाय में विशेष कार्यदल का गठन कर वार्डवार जिम्मेदारी तय करते हुए सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(2) सफाई अभियान के दौरान नाले/नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाय तथा उनसे निकाला हुआ सिल्ट तत्काल सेनेटरी लैण्डफिल साइट अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय।

(3) वेक्टर जनित रोगो के रोकथाम के लिये सम्बन्धित दवाई का नियमित छिड़काव व फागिंग की जाय।

(4) समस्त सामुदायिक शौचालय, पब्लिक टायलेट आदि की समुचित सफाई एवं रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को हासिल किया जाय।

(5) शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(6) जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर किसी प्रकार के सामूहिक आयोजनों अथवा सार्वजनिक स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों को यथा सम्भव वर्तमान में हतोत्साहित किया जाये तथापि यदि अपरिहार्यतावश जन समूह के एकत्रित होने संबंधी कोई आयोजन यदि निकाय क्षेत्र में होता है तो वहां पर उपरोक्त समारोह के आयोजक के साथ समन्वय कर कोरोना वायरस के संक्रमण से

बचाव संबंधित संदेश के विषयगत प्रचार–प्रसार भली–भांति सुनिश्चित कर आम जन मानस को जागरूक किया जाये।

(7) कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जन मानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये।

(8) सार्वजनिक स्थलों, शासकीय भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों आदि पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल के माध्यम से प्रभावी रूप से नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उक्त कार्य हेतु स्वच्छ भारत मिशन नगरीय निदेशालय से आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

(9) कार्यालयों में तथा अन्य सार्वजनिक समागम स्थलों पर हैण्डवाश, साबुन, सेनेटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक 14.03.2020 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

Scanned with CamScanner